

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बैरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 111 वर्ष 2016

आवेदक- नकुल महतो

क्रेता- सरयु महतो

ग्राम - दुर्गापुर

टोला- XXX

ग्राम - दुर्गापुर

टोला-ललमटिया

थाना - कसमार

जिला-बोकारो

थाना - कसमार

जिला- बोकारो

आदेश की क्र०
सं० एवं तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की र
कारवाई के बारे
टिप्पणी तारीख :
साथ।
03

आदेश

यह वाद आवेदक- नकुल महतो पिता स्व० मोहन महतो ग्राम- दुर्गापुर थाना-कसमार जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
दुर्गापुर	108	23	1709	1.97 ए०	73½ डी०	कृषि योग्य

को वे अपनी पुत्री की शादी खर्च हेतु मो० 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) रुपये में क्रेता गिल्फी देवी पति स्व० भरत महतो ग्राम दुर्गापुर टोला-ललमटिया थाना-कसमार जिला -बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 354/रा० दिनांक 01.07.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 17/मु० दिनांक 03.10.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम दुर्गापुर थाना-कसमार जिला-बोकारो का मूल एवं वर्तमान निवासी हैं।

02. बिक्री की जाने वाली भूमि मौजा दुर्गापुर खाता न० 23 सर्वे खतियान में बिक्रेता के पिता मोहन महतो एवं चाच चरकु महतो वेगै० के नाम से दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं० 135/I पर खतियानी रैयत चरकु महतो एवं अन्य के नाम से दर्ज है एवं वर्ष 2015-16 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत है।

03. बिक्री वाली जमीन बिक्रेता के अंश की जमीन है, जिसपर उसका दखल-कब्जा है।

04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पिता मोहन महतो के नाम सर्वे खतियानी जमीन है जो घरेलू बँटवारा के तहत उसे हासिल है तथा उसकी जमाबन्दी खतियानी रैयत चरकु महतो वेगै० के नाम से चल रही है, जिसे वे आवश्यकता वश क्रेता के साथ बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन विवादित नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेता के दखल कब्जे में है।

उभय पक्षों के द्वारा निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया:-

C.C. 18844
23/6/18
C.C. 18844
21/7/18

01. बिक्रेता- चरकु महतो वेगै० के नाम सर्वे खतियान तथा सरकारी लगान रसीद स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ध्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिला निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के पिता एवं चाचा के नाम सर्वे खतियानी एवं उसके अंश की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

अतः आवेदक- नकुल महतो पिता स्व० मोहन महतो ग्राम- दुर्गापुर थाना-कसमार, जिला- बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
दुर्गापुर 108	23	1709	1.97 ए०	0.73½ ए०	नीज लेख्यधारिणी	पहाड़	नीज	तीजन महतो

मो० 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) रुपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता गिल्फी देवी पति स्व० भरत महतो ग्राम दुर्गापुर टोला-ललमटिया थाना-कसमार जिला -बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।